

संख्या: 14/18/249
तिथि: 31/01/2024
पावती समय: 01:17 PM

अतारांकित प्रश्न

विषय :- "तंबाकू गुटका, पान मसाला, सुगंधित, सुवासित तंबाकू पर बैन बारे।
मंत्री:- श्री. दुष्यंत चौटाला
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-

प्रेषक:
श्री नीरज शर्मा(86), सदस्य

सेवा में:
सचिव
हरियाणा विधान सभा
Delhi-1

महोदय,
अतारांकित प्रश्न
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री कृपया बताएंगे कि :

- क्या यह तथ्य है कि हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 07/09/2022 को जारी आदेश में "तंबाकू चाहे गुटका, पान मसाला, सुगंधित, सुवासित तंबाकू या खर्चा के नाम से या किसी अन्य नाम से पुकारा जाए चाहे यह पैकेज में हो या बिना पैकेज के हो विनिर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर एक वर्ष की अवधि के लिए रोक है।
- क्या वर्ष 2022 के जून महीने में सीएम फ्लाइंग के नेतृत्व में जीएसटी, खाद्य सुरक्षा विभाग और अन्य विभागों की संयुक्त टीम द्वारा काइज़ेन पान प्रॉडक्ट्स प्रा. लि के प्लॉट संख्या 792, सेक्टर 69, आईएमटी, फरीदाबाद स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा गया था। अगर हां तो उसमें क्या पाया गया तथा क्या कार्यवाही की गई।

भवदीय
श्री नीरज शर्मा(86)
सदस्य
31/01/2024 01:17 PM

This document is computer generated and signature is not required.

FOR OFFICE USE